9-6-11 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गंगाराम एवं हरदयाल उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पश्चात् आपसी निबेड़ा के लिये साक्ष्य, सबूत, गवाह इत्यादि कुछ भी पेश नहीं किया है। प्रथम दृष्टया प्रार्थना का समर्थन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी को लगते हैं। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज कैसे हुई है अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। पत्रावली खारिज की जाकर पक्षकारान को कानून के अनुसार सक्षम के समक्ष दावा दायर करने का स्वतंत्र है।